संख्या-327/2017/2324/22-2-2016-17(95)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 अप्रैल, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्णा पुत्र श्री सुमेरा निवासी जनपद-बांदा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44183/पर-2/सलाहकार समिति/(एम0 17-11-2016) दिनांक-15-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कृष्णा पुत्र श्री सुमेरा, निवासी ग्राम-पपरेन्दा, थाना-चिल्ला जनपद-बांदा का रहने वाला है। घटना से लगभग 06 माह पूर्व बन्दी ने चुनवा से रू0-350/- उधार लिये थे। उधार दिये गये पैसे मांगने पर बन्दी ने चुनवा को मारा पीटा। दिनांक 08.07.1980 को प्रात: काल में वह रिपोर्ट लिखाने जा रहा था, तभी रास्ते में बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं बरछी से मारकर चुनवा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-340/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बांदा के आदेश दिनांक 26.03.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायलय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 11.03.2003 द्वारा उक्त दण्ड को यथावत रखा है। बन्दी द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक 14 वर्ष 04 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 11 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं करने तथा पीडित पक्ष में आक्रोश होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी कृष्णा पुत्र श्री सुमेरा की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। घटना से लगभग 06 माह पूर्व बन्दी ने चुनवा से रू0-350/- उधार लिये थे। उधार दिये गये पैसे मांगने पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी ने चुनवा को मारा पीटा। दिनांक 08.07.1980 को प्रात: काल में वह रिपोर्ट लिखाने जा रहा था, तभी रास्ते में बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं बरछी से मारकर चुनवा की हत्या कर दी। सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं वरछी से मारकर चुनवा की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना है। पीडित पक्ष में आक्रोश उत्पन्न होने एवं कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी कृष्णा पुत्र श्री सुमेरा को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कृष्णा (बन्दी संख्या-2831/03) पुत्र श्री सुमेरा, निवासी जनपद-बांदा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-327/2017/2324(1)/22-2-2016 तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।